आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiglobal.org/journals/navrachna.2018
वर्ष 4, अंक 1–2, जून–दिसम्बर 2018, पृ. 20–25

वैश्वीकरण एवं राष्ट्र राज्य

सुभाष शुक्ला*

सारांश

यह शोध पत्र इस बहस का विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि वैश्वीकरण के समकालीन चरण में राष्ट्र राज्य के स्वरूप एवं भूमिका में निश्चित रूप से बदलाव आया है। सर्वप्रथम, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विश्लेशण किया गया है। दूसरे भाग में वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। तीसरे भाग में वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार से राष्ट्र राज्य पर पड़ा है उसकी व्याख्या की गयी है । निष्कर्ष में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी है कि वैश्वीकरण के समकालीन चरण में राष्ट्र राज्य का अन्त न हो कर उसके स्वरूप में बदलाव आया है।

प्रथम

आधुनिक काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्भव वेस्टफेलिया की संधि के साथ सन् 1648 में माना जाता है। उसी के साथ अंतराष्ट्रीय जगत में संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था की भी स्थापना हुई।

वेस्टफेलिया की संधि का आधार यूरोपीय राष्ट्र राज्यों के शासकों के बीच यह समझौता था कि एक दूसरे के उस अधिकार को मान्यता देते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें अपने राज्य के भू–क्षेत्र में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शासन करने का अधिकार है।

वेस्टफेलिया संधि की तीन प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं[1]

1) भू क्षेत्रीयता (Territoriality) – यानि कि मानव समाज अलग–अलग निश्चित भौगोलिक सीमाओं वाले राजनीतिक समुदायों में संगठित है।
2) संप्रभुता – अपनी भौगोलिक सीमाओं के अन्दर किसी भी राष्ट्र राज्य की सरकार सर्वोच्च एवं सर्वोपरि सत्ता है।
3) स्वायत्ता (Autonomy) – राज्य अपने आन्तरिक,राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में स्वायत्ता रखते हैं और उनकी भौगोलिक सीमायें उनके आन्तरिक क्षेत्र को बाहरी विश्व से अलग करती है।

इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि वेस्टफेलिया की सन्धि के दो मुख्य सिद्धान्त हैं[2]–

*असिस्टेंट प्रोफेसर, विकास अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,इलाहाबाद, 211 002, भारत।

1. अपनी भौगोलिक सीमाओं के अन्दर राज्यों का सम्प्रभु अधिकार होगा तथा सभी समूह एवं संस्थायें राज्य के अधीन होंगी।
2. विभिन्न राज्यों के मध्य सम्बन्ध राज्यों की संप्रभु स्तंत्रता एवं समानता पर आधारित है।

इस सन्धि के उपरान्त, विश्व स्तर पर राष्ट्र राज्य प्रमुख कर्ता के रूप में स्थापित हुई लेकिन धीमे–धीमे जैसे यूरोपीय उपनिवेशवाद विश्व में स्थापित हुआ वैसे–वैसे हर स्थान पर राष्ट्र व्यवस्था स्थापित होती गई और यूरोपीय औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के उपरान्त स्वतन्त्र राष्ट्र राज्य स्थापित हुए। यूरोप के उपरान्त पहले उत्तर अमेरिका उसके बाद दक्षिण अमेरिका और 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ पूरे विश्व में स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था स्थापित हो गयी। यूँ कहा जाय कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हो गयी, पूर्व की तरह सिर्फ यूरोपीय राजनीति नहीं रह गयी।

आधुनिक राष्ट्र राज्य के चार प्रमुख तत्व बताये गये हैं – 1) निश्चित भू क्षेत्र, 2) उसकी आबादी (Population) 3) संप्रभुता एवं 4) सरकार। 1933 के मोन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार किसी भी राज्य की चार प्रमुख विशेषतायें होती हैं[3]।

1) एक निश्चित भू क्षेत्र, 2) एक स्थायी आबादी, 3) एक प्रभावशाली सरकार और 4) अन्य राज्यों के साथ सम्बन्धों को स्थापित करने की क्षमता।

वैसे तो राष्ट्र की अवधारणा एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है जो कि नस्ल, भाषा एवं धर्म के आधार पर संगठित माना जाता रहा है, परन्तु 18वीं शताब्दी भू क्षेत्रीय राजनीतिक इकाईयों का एक राष्ट्रीय स्वरूप सामने आने लगा था। अतः हम आज राष्ट्र राज्य को एक स्वायत्त राजनीतिक समुदाय कह सकते हैं जो कि एक समान भू क्षेत्र में निवास करने वालों में नागरिकता के आधार पर राश्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करता है, भले ही इनमें सांस्कृतिक एवं प्रजातीय विविधता विद्यमान क्यों न हो।

द्वितीय

वैश्वीकरण को प्रायः शीत युद्ध काल की समाप्ति के उपरान्त आये उदारीकरण और निजीकरण एवं विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रक्रिया के साथ जोड़कर देखा जाता है। वास्तव में वैश्वीकरण की प्रक्रिया सिर्फ 20वीं शताब्दी की प्रक्रिया नहीं है बल्कि सैद्धान्तिक रूप से इसकी जड़ें वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धान्त में निहित पायी जाती हैं, जिसका अर्थ यह है कि पूरा संसार भगवान के परिवार का अंग है। आर्थिक रूप से वैश्वीकरण की शुरूआत सिल्क मार्ग की स्थापना के साथ माना जाता है। आधुनिक काल में वैश्वीकरण का प्रारम्भ कोलम्बस की अमेरिका के खोज के साथ हुआ। इसके उपरान्त वैश्वीकरण के विकास का विश्लेषण अलग अलग ढंग से निम्नलिखित रूप में किया गया है –

1) रोलेन्ड रोबर्टसन ने यूरोप में वैश्वीकरण के उद्भव के पाँच चरणों को रेखांकित किया है–[4]
   - प्रथम चरण– 1400–1750
   - द्वितीय चरण– 1750–1875 – अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अंतर्राष्ट्रीयवाद का उदय
   - तृतीय चरण – 1875–1925 – वैश्वीकरण की प्रक्रिया में गति आना संचार की प्रक्रिया में विकास के साथ।

– चतुर्थ चरण – 1925–1969 – वर्चस्व का संघर्ष जिसके अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध का होना, आणविक हथियारों का विकास।

– पंचम चरण – 1969 से शीतयुद्धोत्तरकाल – जिसके अंतर्गत वैश्विक दूर संचार साधनों का विकास हुआ।

2. डेविड हेल्ड, ए. मैकग्रीयू, डी, : गोल्डबलाट, एवं जे. पेराटन द्वारा सम्पादित पुस्तक ''ग्लोबल ट्रांसफार्मेशन्स : पालिटिक्स, इकनॉमिक्स एण्ड कल्चर'' (1999) में वैश्वीकरण के चार चरणों का उल्लेख किया गया है[5]–

– पूर्व आधुनिक (1500 ए.डी. के पूर्व)

– प्रारम्भिक आधुनिक (1500 ए.डी. –1850) – पश्चिम का उदय एवं यूरोपीय लोगों का अमरीका, एशिया, अफ्रीका एवं अन्य क्षेत्रों में पहुँचना।

– आधुनिक वैश्वीकरण – (1850–1945)– वैश्विक जाल का तेजी से विकास एवं और संस्कृतियों का प्रवाह, यूरोपीय शक्तियों विशेषकर ब्रिटेन के अधीन।

– समकालीन वैश्वीकरण – जिसमें राष्ट्र राज्य व्यवस्था एवं क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थाओं का विकास, अमरीका और यूरोप के नियन्त्रण में।

3. रोबी राबर्टसन ने अपनी पुस्तक ''द थ्री वेब्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन'' में वैश्वीकरण के तीन चरणों की बात कही है। उनके अनुसार ये तीन चरण हैं[6]–

– प्रथम चरण – कोलम्बस की 1492 में अमरीका की खोज से लेकर 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति तक।

– द्वितीय चरण – अट्ठारहवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति के साथ प्रारम्भ हुआ तथा उसका अंत दूसरे विश्व युद्ध तक

– तीसरा चरण – दूसरे विश्व युद्ध के उपरान्त से अब तक।

इस तीसरे चरण को हम शीत युद्ध काल के अन्त तक सीमित कर, उसके उपरान्त वैश्वीकरण के चौथे चरण को जोड़ सकते हैं जो कि 1989 में शीत युद्ध के अंत के उपरान्त शुरू हुआ।

इसके पूर्व कि हम राष्ट्र राज्य के ऊपर वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव का विश्लेषण करें यह उपयुक्त होगा कि हम वैश्वीकरण के अर्थ को स्पष्ट करें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अर्थ हम उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं।[7]

जॉन बेलिस एवं स्टीव स्मिथ ने वैश्वीकरण को विभिन्न समाजों के बढ़ते हुए जुड़ाव के साथ जोड़कर देखा है। वही एंथोनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक 'द कान्सीक्वेंस आफ माडर्निटी' में वैश्वीकरण की विशेषता विश्व में बढ़ती हुयी अन्योन्याश्रयिता तथा पारस्परिकता बताया है। वहीं डी. हार्वे ने स्थान और समय की बदली हुई अवधारणा के साथ जोड़कर देखा है। वहीं जेम्स रोजेनाउ ने विश्व में आयी तकनीकी क्रान्ति को वैश्वीकरण के कारण आयी अंतरर्निभरता तथा पारस्परिकता का आधार बताया है। जबकि मैलकम वाटर्स ने राष्ट्र राज्यों की भौगोलिक सीमाओ की बढ़ती हुयी निरर्थकता बताया है। वहीं राबर्ट गिलपिन ने वैश्वीकरण को विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण के साथ जोड़कर देखा है। वहीं जोसेफ स्टिगलिटज ने वैश्वीकरण के अंतर्गत विचारों एवं ज्ञान का प्रवाह, संस्कृतियों का आदान–प्रदान एवं नगरीय समाज की भूमिका पर जोर दिया है।

उपरोक्त परिभाषाओं एवं विशेषताओं के आधार पर हम वैश्वीकरण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास, आर्थिक एकीकरण तथा सूचना, ज्ञान एवं विचारों के प्रवाह के कारण एक ऐसी अंतरनिर्भरता एवं पारस्पारिकता का विकास हो रहा है जिसमें राष्ट्रों की सीमा तथा समय एवं स्थान के बंधन का कोई अर्थ नहीं रह गया है।[8]

तृतीय

अगर हम आधुनिक राष्ट्र राज्य एवं आधुनिक वैश्वीकरण के बीच सम्बन्ध का विश्लेषण आरम्भ करें तो सर्वप्रथम हम यह पायेंगे कि दोनों का उद्भव एवं विकास लगभग एक साथ हुआ। जैसे कि उपरोक्त में विभिन्न विद्वानों ने आधुनिक वैश्वीकरण का उद्भव सन् 1492 में अमरीका के खोज के साथ माना है, वहीं आधुनिक राष्ट्र राज्य का उद्भव भी 15–16वीं शताब्दी के साथ माना गया है।

वेस्टफेलिया की सन्धि ने राष्ट्र राज्य व्यवस्था को यूरोप में स्थापित किया और आगे चल कर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना के उपरान्त अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वतंत्र संप्रभु राज्य व्यवस्था की स्थापना का आधार बनी।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विकास को गति प्रदान करने से यूरोपीय पूँजीवाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की अहम् भूमिका रही है। जैसे –जैसे यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रसार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ वैसे यूरोपीय राष्ट्र राज्य व्यवस्था भी उन क्षेत्रों में स्थापित होती गयी और उन क्षेत्रों में स्वतन्त्रता उपरान्त आधुनिक स्वतन्त्र राष्ट्र राज्य स्थापित हुए। अतः हम आधुनिक वैश्वीकरण का प्रारम्भ एवं विस्तार, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना एवं यूरोपीय उपनिवेशवाद एवं पूँजीवाद के विस्तार को एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है।

यूँ कहा जाय तो यूरोपीय उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की पूरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संपर्क स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त आयी तकनीकी क्रान्ति ने विश्व के इस जुड़ाव को और बढ़ाते हुए जिस अन्योन्याश्रयिता, पारस्परिकता एवं अंतरनिर्भरता को विभिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच स्थापित किया उससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को एक नया आयाम दिया। तथा शीतयुद्ध के उपरान्त वैश्वीकरण को नयी विश्व व्यवस्था का आधार माना जाने लगा। उसके उपरान्त आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया का जिस तेज गति से विस्तार हुआ आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं खुली मुक्त बाजार व्यवस्था के बढ़ते हुए विस्तार एवं प्रभाव के कारण, उसने समकालीन विश्व में वैश्वीकरण बनाम राष्ट्र राज्य की ज्वलन्त बहस को जन्म दिया।

इस बहस के दौरान तीन प्रकार के मत सामने आये।[9] पहला मत तो उन लोगों का था जो वैश्वीकरण को एक ऐसी नाव मानते थे जिससे सबका उद्धार होगा अतः इस प्रक्रिया के बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए उन्होंने राष्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमाओं के बन्धनों की समाप्ति की घोषणा करते हुए यह तक कह दिया कि राष्ट्र राज्य का अन्त हो गया है। इन्हें हाईपरग्लोबलाईजर्स के नाम से जाना गया। इसके प्रमुख प्रवर्तक ओहम एवं शेल्ट थे।

वहीं दूसरी तरफ वो विद्वान थे जो इस मत से बिल्कुल सहमत न थे और उन्होंने वैश्वीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के बीच तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य का स्थान कोई संस्था नहीं ले सकती और यह विश्वास जताया कि राज्य एवं भू–राजनीति वो प्रमुख शक्तियाँ होंगी जो हमेशा विश्व व्यवस्था को मूर्त रूप देंगी। इसके प्रमुख प्रमुख प्रवर्तक राबर्ट गिलपिन और स्टाफेन क्रैस्नर थे।

इन दोनों तर्कों के बीच एक तीसरा तर्क यह आया कि न हाईपर ग्लोब्लाइजर्स का तर्क सही है न ही संशयवादियों या स्केपटिक्स का तर्क सही है। बल्कि दोनों के बीच का रास्ता निकालते हुए इस मत के प्रवर्तकों ने यह तर्क दिया कि न तो संप्रभु राष्ट्र राज्य का अन्त हो रहा है न ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को नजरअन्दाज किया जा सकता है। उनका यह तर्क था कि वैश्वीकरण के प्रभाव में वर्तमान राष्ट्र राज्य की प्रकृति एवं भूमिका में निश्चित बदलाव एवं परिवर्तन आया है । इन्हें परिवर्तनवादी या ट्रांसफार्मेशनलिस्ट की संज्ञा दी गयी। बॉब जीसप ने राज्य के बजाय शुम्पीटर के प्रतिस्पर्धा राज्य से की है। जेम्स रोजेनाउ ने वर्तमान वैश्वीकृत विश्व में राज्य की बदली हुई भूमिका को स्वीकारा है। यही बात सोरेन्सन ने भी कही है। राबर्ट काक्स के अनुसार राज्य का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। यूरोपीय संघ का उदाहरण देते हुए कूपर ने उत्तर आधुनिक राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है।[10]

11 सितम्बर 2001 को हुए वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर आतंकवादी आक्रमण ने शीतयुद्धोत्तर विश्व को राज्य रूपी संस्था की आवश्यकता की याद दिलायी। इस घटना ने विश्व को सुरक्षा सम्बन्धित विषयों की एक सीमा तक सदैव प्राथमिकता बनी रहने के तथ्य से पुनः अवगत कराया। तथा वैश्वीकरण बनाम राष्ट्र राज्य की बहस में एक नया मोड़ आया। अब राष्ट्र राज्य के अन्त के बजाय राज्य की वापसी की बात कही जाने लगी।[11]

2008 के आर्थिक संकट ने भी विश्व को निर्बाद्ध आर्थिक वैश्वीकरण के खतरों से अवगत कराया तथा राष्ट्र राज्य के आर्थिक क्षेत्र में एक सीमा तक भूमिका होने के तथ्य को बल प्रदान किया। मुक्त व्यापार एवं खुले बाजार पर आधारित अर्थ व्यवस्था में भी राज्य की एक नियामक, नियंत्रक एवं समन्वयक संस्था के रूप में आवश्यकता को उजागर किया।

उसी समय विश्व के सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ के अन्दर आये वित्तीय संकट ने आज के वैश्वीकृत, उदार एवं निजीकरण पर आधारित अर्थ व्यवस्था में राज्य की भूमिका की याद पूरे विश्व को दिलायी।

अतः वैश्वीकरण एवं राष्ट्र राज्य की जो बहस 20वीं शताब्दी एवं 21वीं शताब्दी में शुरू हुई है, उसमें निष्कर्ष रूप हम यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को शीत युद्धोत्तर काल की प्रक्रिया के रूप में देखना एवं राष्ट्र राज्य एवं वैश्वीकरण को विरोधी अवधारणायें मानना भ्रान्तिपूर्ण मान्यतायें हैं। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया की आधुनिक काल में यूरोपीय उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद के साथ राष्ट्र राज्य एवं संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र राज्य व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

शीत युद्धोत्तर काल में उदारीकरण और निजीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव में समकालीन वैश्वीकरण के युग में भी राष्ट्र राज्य की भूमिका समाप्त नहीं हुई है। बल्कि निश्चित रूप से कुछ हद तक परिवर्तित अवश्य हुई है। अभी भी राज्य की न केवल कानून व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाये रखने की संस्था के रूप में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक नियामक नियंत्रक एवं समन्वयक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है।

टिप्पणी व सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1] जॉन बेलिस, स्टीव स्मिथ एवं पैट्रीशिया ओवेन्स, (संपा.) ''दि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स : एन इण्टोडक्शन टू इण्टरनेशनल रिलेशन्स , आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011, पृ. 23

[2] ऐन्ड्रयू, हेवुड, ग्लोब्ल पॉलिटिक्स, पैलग्रेव मैक्मिलन, नई दिल्ली, पृ. 5

[3] वही, पृ. 112

[4] जॉन बेनान एवं डेविड डंकर्ली (संपा.), दि ग्लोबलाइजेशन : दि रीडर, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ. 9

[5] वही, पृ. 10

[6] ग्रेग ब्यूक्मैन, ग्लोबलाइजेशन : टेम इट ओर स्क्रैप इट', बुक्स फॉर चेन्ज, बैगलूरू, पृ. 6–7

[7] के. के. मिश्रा एवं सुभाष शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2011, पृ. 175–177

[8] वही, पृ. 177

[9] क्रम.1, पृ. 20

[10] क्रम.2 पृ. 118–120

[11] वही, पृ. 121–22